FORM NO: III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

तहसीलदार .... महवा

सरकार बनाम [illegible]

मुकदमा धारा 91 (2) A.C. नं. 325 सन् 18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]	पटवारी हल्का की रिपोर्ट दर्ज कर अतिक्रमी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 28-2-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)	
[illegible]/3/18	पत्रावली पेश हुई। आवाज लगवाई गई। अतिक्रमी की ओर से पुत्र उपस्थित आया है। आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है। पत्रावली दिनांक 8/3/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	कृष्णसिंह (पुत्र)
08/03/18	आज पत्रावली पेश हुई। आवाज लगवाई गई। अतिक्रमी की ओर से उसका पुत्र कृष्ण सिंह उपस्थित आया है। अतिक्रमी के पुत्र द्वारा अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया गया है अतः ग्राम गैर की अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न पत्रावली है। (हस्ताक्षर) तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)	कृष्णासिंह (पुत्र)

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मिसल नम्बर 325/18 तारीख रजू 19/2/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का डोडिया बनाम श्री खेमसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत निवासी रौत तहसील महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 08/03/2018

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री खेमसिंह ने ग्राम रौत को भूमि ख.न. 391 रकबा 0.03 किस्म गैरमुमकिन रास्ता फसल ~~रबि / खरीफ~~ संवत 2074 में गेहूँ / जौं (0.02 / 0.01) कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। ~~उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया~~ उक्त जबाब में उसके द्वारा अपने बचाव मे कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नही किया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नही है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 391 रकबा 0.03 किस्म गैरमुमकिन रास्ता वाके ग्राम रौत से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 0.46 का 50 गुणा 23रु. शस्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खडी फसल गेहूं, जौं को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को ~~[illegible]~~ / ~~नीलाम~~ नीलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

तहसीलदार
तहसील-महवा (दौसा)

रजिस्टर मांग के पेज नं. 63 पर
वर्ष 2017-18
की राशि ... 23रु.
की जमा ...
दिनांक 2/3/18 तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील-महवा